

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>प्रकाश चन्द बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार बिलाड़ा)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 226 / 2019</p>	<p>नं० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>17.12.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रकाश चन्द पुत्र छोगाराम विश्नोई पता मतवालों की ढाणी (बाला) वाया भावी, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 19.08.2019 में उसके द्वारा (1) सा० देह खातेदार हरलाल पुत्र सुरा विश्नोई राजस्व अभिलेख ग्राम बाला के खसरा नं. 77 रकबा 9.19 बीघा किस्म बारानी प्रथम से संबंधित म्युटेशन सं० 128 दिनांक 18.2.1975 के स्वीकृत सा म्युटेशन प्रजीका की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार बिलाड़ा) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.(तहसीलदार बिलाड़ा) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार बिलाड़ा) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

